देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

क्रमांक:स्था / दिव्यांग / 2024 / 708 दिनांक: 28 JUN 2024

विशेष भर्ती अभियान अन्तर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति

WP No 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7–19 / 2019 / आ.प्र. / एक भोपाल, दिनांक 31.05.2024 एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र दिनांक 07.06.2024 अनुसार विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित पदों में से चतुर्थ श्रेणी 'भृत्य / चौकीदार' के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक–इन इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु 40 प्रतिशत एवं इससे अधिक दिव्यांगजनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। दिव्यांगजनों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	विज्ञापित पद का नाम एवं श्रेणी	पदों की संख्या				आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक	कार्यालय का नाम, जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाना है
		दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित	बहरे और कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	दिनांक: 09.07.2024 एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक: 10.07.2024 स्थान:– प्रशासनिक कार्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	कुलसचिव कार्यालय, आर.एन.टी.मार्ग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर–452001 (म.प्र.)
1.	भृत्य / चौकीदार	01	—	—	—		

1. **भर्ती प्रक्रिया**– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7–19 / 2019 / आ.प्र. / एक भोपाल, दिनांक 31.05.2024 के दिशा–निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।
2. **वेतनमान**:– चतुर्थ श्रेणी के पद भृत्य / चौकीदार हेतु वेतनमान 15,500–49,000 / – में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12.12.2019 के अनुसार नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाकर परिपत्र अनुसार स्टायपेंड के रूप में वेतन देय होगा।
3. **शैक्षणिक अर्हताएं**:–

   3.1 चतुर्थ श्रेणी हेतु:–

   (1) **भृत्य / चौकीदार**–सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी–3 –06 / 2011 / 3 / एक, दिनाक 18.05.2011 अनुसार भृत्य के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4. **आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है**:–
   1. आवेदन पत्र पर चस्पा पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ्स स्व प्रमाणित होना आवश्यक है।
   2. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति होना आवश्यक है।
   3. मध्यप्रदेश का मूल / स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छायाप्रति आवश्यक है।
   4. जन्म दिनांक एवं आयु के संबंध में प्रमाण–पत्र स्व प्रमाणित छायाप्रति आवश्यक है। आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी। समस्त प्रकार की छूट समाहित कर आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
   5. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
   6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। किसी शासकीय संस्था / निगम / मंडल में कार्यरत आवेदनकर्ता के लिये छूट रहेगी।

निरन्तर......2

7. यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्था/निगम/मंडल में कार्यरत है तो उसे आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। जिस आवेदक की दिनांक 26.01.2001 या इसके बाद शासन निर्देश से अधिक संतान वाले आवेदन के लिये पात्र नहीं होगे।
9. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र केवल यू.डी.आई.डी. पोर्टल नामतः htt://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण –पत्र ही मान्य होंगे।
10. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों के अभाव में विचार नही किया जायेगा।
11. आवेदनकर्ता के चयन उपरांत शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। इसके साथ ही मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजन के लिये कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व मेडिकल परीक्षण में बेरा टेस्ट (BERA TEST) भी अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
12. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
13. नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नियम/शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना समाचार पत्र मे प्रकाशित न की जाकर विभागीय वेबसाइट www.dauniv.ac.in पर अपलोड एवं स्थापना विभाग, देअविवि इन्दौर के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।
15. आवेदन पत्र अंतिम निर्धारित दिनांक 09.07.2024 तक उपर दिये गये कार्यालय के पते पर स्वयं प्रस्तुत करें अथवा पंजीयन डाक से लिफाफे के उपर " दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में से चतुर्थ श्रेणी भृत्य/चौकीदार के पद हेतु आवेदन पत्र" अंकित करते हुए भेजें। किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालयीन समय के पूर्व प्राप्त होना आवश्यक है, प्राप्त न होने की स्थिति में संस्था की कोई जावबदेही नही होगी।
16. **वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक 10.07.2024 को स्थान– प्रशासनिक कार्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में आयोजित किया जायेगा, जिसकी सूचना अभ्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर, व्हाटसेफ नंबर एवं ईमेल पते पर सूचित किया जायेगा।**
17. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः– आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर एवं स्थापना विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। **ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने किसी कारण से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वह भी अपना आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक स्थापना विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्वयं जमा कर सकेंगे।**

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार इन्दौर रहेगा।

कुलसचिव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर